

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- 25 वीना

प्रकरण संख्या- 51/2025

दिनांक- 25/06/2025

श्री केलाराय पुगवल्लथाम  
 पुनर्रसाधनी मानपुरी, बलरिया

उपखण्ड

बनाम सरकार जसिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



आदेश :-

प्राणी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों, पंजीशी हल्का 2601/11 मू अ नि 4173 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशेषा अनुसार राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम 2102/10/11 प 80 2601/11 की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 91 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं।
1.	बिक के नाम में राशुडि	स्टेट बैंक ऑफ़ वीकानेर 2009 अथपुर 21129 चौथ का बरवाड़ा	स्टेट बैंक ऑफ़ वीकानेर 21129 चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिहिापी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री केलाराय पुगवल्लथाम पुनर्रसाधनी मानपुरी, बलरिया
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)